

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 31.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-34 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेश कुमार पुत्र रामसमोखन निवासी पंचमुखी मनोहर जोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-89/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती चम्पादेवी पत्नी स्व जगदीश, 02. सुजीता पत्नी श्रीराम, 03. रामा देवी पत्नी सन्तू निवासीगण रमईजोज पेरी पोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-104/21, धारा 272 भादवि, 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 31.03.2021

फर्जी बी0एस0एन0एल0 कर्मचारी बताकर टावर की बैट्री चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. कन्हैया सिंह पुत्र सबल बहादुर सिंह नि0 भूपगंज बाजार इमिलियागंज थाना पयागपुर जनपद बहराइच ।
02. मो0 कैप पुत्र मो0 असलम नि0 नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—56 / 21, धारा 419.420.380.411.413 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी—

01. 05 अदद टॉवर बैट्री ।
02. 01 अदद बुलेरो ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.03.2021 को उक्त अभियुक्तों ने अपने अन्य साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर स्वयं को बी0एस0एन0एल0 हेड ऑफिस के कर्मचारी बताकर वादी काली प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 अमिरका सिंह ग्राम कुडियाव थाना परसपुर जनपद गोण्डा के खेत में लगे बी0एस0एन0एल0 टावर की 08 अदद बैटरियों को खोल ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें थाना परसपुर द्वारा सुरागरसी—पतारसी कर उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 05 अदद बैट्री व परिवहन में प्रयुक्त बुलेरो बरामद की गयी। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 नीरज कुमार सिंह ।
02. उ0नि0 वीरेन्द्र प्रसाद पाल ।
03. का0 श्याम बिहारी ।
04. का0 संदीप कुमार ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 31.03.2021

अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद, 14 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अलखराम पुत्र बाबूराम नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. लक्ष्मी पुत्र हरिराम नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. शिवप्रसाद पुत्र जनकप्रसाद नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. श्रवण कुमार पुत्र सोमई नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
05. पार्वती पत्नी लक्ष्मी नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
06. सावरपति पत्नी श्रवण कुमार नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
07. मालती पत्नी रामजनक नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
08. कलावती पत्नी विशनु नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
09. जगदम्बा पुत्र जोखू नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
10. सन्तराम उर्फ सन्तू पुत्र सीताराम नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
11. दुर्गा प्रसाद पुत्र रामकुमार नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
12. कृष्ण देव पुत्र रामकुमार नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
13. श्रीमती किशना पत्नी जगदम्बा नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
14. श्रीमती सुनीता पत्नी रामकुमार नि० ग्राम नरायणपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

1. मु०अ०स० 102/2021 धारा 60/60(2)/72 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
2. मु०अ०स० 103/2021 धारा 60/60(2)/72 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 जरिकैन में 40 लीटर व 02 जरिकैन में 20—20 ली० कुल 80 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब
02. 08 किलो० यूरिया।
03. 02 किग्रा० नौसादर।
04. शराब बनाने के उपकरण।
05. हीरो होण्डा स्पेलेण्डर काला रंग रजि० नं०—यूपी 51 जेड 5029
06. हीरो होण्डा डिलक्स काला रंग रजि० नं० यूपी—43 ए०एफ० 7938
07. सुपर स्पेलेण्डर काला रंग यूपी—42 ए० एफ० 2496
08. हीरो होण्डा डिलेक्स लाल काली रंग रजि० नं०—यूपी० 51 ए०आर० 9475,
09. सफेद रंग अपाची रजि० नं०—यूपी० 42 ए०आर० 4655
10. अपाची लाल सफेद रंग रजि० नं०—यूपी० 51 आर 5291
11. 2200 लीटर लहन नष्ट।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में आगमन के पश्चात पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध कच्ची शराब के परिवहन, विक्री व निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 80 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण व परिवहन में प्रयुक्त होने वाली 06 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को थाना नवाबगंज में आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. प्र०नि० नवाबगंज, राजेश कुमार सिंह।
02. उ०नि० सुनील कुमार।
03. उ०नि० अखिलेश यादव।
04. हे०का० सुधाकर शर्मा।
05. हे०का० राजेन्द्र यादव।
06. हे०का० सुनील कुमार।
07. हे०का० अय्याज अहमद खाँ।
08. का० अजय कुमार यादव।
09. का० अरुण कुमार, 10. का० अरविन्द यादव, 11. का० मान सिंह यादव, 12. का० दुर्गेश चौधरी, 13. म०का० गीता रानी, 14. म०का० अनीता देवी, 15. म०का० सोनम सिंह।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 31.03.2021

पुलिस मुठभेड में अन्तर्जनपदीय चोरो का गैंग गिरफ्तार, चोरी का माल व असलहा कारतूस बरामद:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मनगाटू पुत्र बाड़े खटिक नि० ग्राम धनहवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
02. छिटई सोनकर पुत्र होली नि० ग्राम धनहवा मौजा अंबरनगर थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
03. भण्डारी सोनकर पुत्र सुन्दर नि० ग्राम धनहवा मौजा अंबरनगर थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
04. ननके पुत्र राममिलन यादव नि० ग्राम बनकटवा मौजा संकरी थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
05. केसरीलाल कोरी उर्फ भजनलाल पुत्र किंचे प्रसाद नि० संकरी बनकटवा थाना ललिया जनपद।
06. राधेश्याम सोनकर पुत्र रामदीन नि० नन्दनगर मड़ईडीह थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
07. विजय प्रकाश यादव पुत्र रामसमुझ नि० ग्राम मधवापुर चौका कला थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
08. केशवराम कोरी पुत्र राजाराम नि० ग्राम मधवापुर चौका कला थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

बरामदगी का विवरण-

01. 02 जोड़ी झुमकी पीली धातु
02. 01 अदद मांग वेदी पीली धातु
03. 01 अदद मंगलसूत्र लाकेट लगा हुआ पीली धातु
04. 01 जोड़ी झाला पीली धातु
05. 01 अदद कील पीली धातु
06. 01 अंगूठी पीली धातु
07. 04 जोड़ी विछुवा सफेद धातु
08. 02 जोड़ी पायल चाँदी,
09. 01 अदद आधार कार्ड नं (255706955073)
10. 03 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
11. चोरी करने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-142/21, धारा 457.380.411 भादवि थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-143/21, धारा 307 भादवि थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-144/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०-145/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
05. मु०अ०सं०-146/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त भण्डारी सोनकर का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—275 / 12, धारा 41.109 सी0आर0पी0 थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
02. मु0अ0सं0—394 / 13, धारा 41.109 सी0आर0पी0 थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
03. मु0अ0सं0—153 / 20, धारा 376.506 भादवि थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
04. मु0अ0सं0—254 / 20, धारा 457.380.411 भादवि थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
05. मु0अ0सं0—255 / 20, धारा 457.380.411 भादवि थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
06. मु0अ0सं0—294 / 20, धारा 457.380.411 भादवि थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

अभियुक्त छिटई सोनकर का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—28 / 03, धारा 41.109 सी0आर0पी0 थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
02. मु0अ0सं0—254 / 20, धारा 457.380.411 भादवि थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
03. मु0अ0सं0—255 / 20, धारा 457.380.411 भादवि थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

अभियुक्त मनगाढू का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—362 / 07, धारा 41.109 सी0आर0पी0 थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को चोरी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में थाना करनैलगंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोहम्मदपुर गड़वार में रहने वाले चन्द्र मोहन सिंह के घर में अज्ञात चोर चोरी करके फरार हो गये हैं। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र में घेराबन्दी कर पुलिस मुठभेड़ के दौरान अन्तर्जनपदीय चोरी के गैंग के 08 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उक्त चोरी के उपकरण व असलहा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगण शांतिर किस्म के अपराधी हैं जो जनपद गोण्डा, बलरामपुर व आस-पास के जनपदों में घूम-घूमकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज, संतोष कुमार सिंह।
02. उ0नि0 श्री शिवसरन गौड़।
03. उ0नि0 श्री बृजेश कुमार गुप्ता।
04. उ0नि0 आदित्य गौरव श्रीवास्तव।
05. हे0का0 अबरार खान।
06. हे0का0 गिरजाशंकर।
07. हे0का0 राजू सिंह।
08. हे0का0 अरुण कुमार राय।
09. का0 संदीप कुमार यादव।
10. का0 अभिलोक राय।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 31.03.2021

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मनीष पासवान पुत्र बलदेव पासवान नि० धोबिन पुरवा मौजा बीरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—102/21, धारा 376 डी. 452.506 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30/31.03.2021 की रात्रि उक्त अभियुक्त ने अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर खास की सूचना पर परसौनी पुरवा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार, बृजेश कुमार पाण्डेय।
02. का० प्रदीप कुमार।
03. का० सुभाष कुमार।
04. म०का० प्रतिमा कुमारी।
05. म०का० रीता सिंह।